



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 1276/2026

विशाल यादव

...अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ एवं एक अन्य

...विरोधी पक्षकार(गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता	: - शील निधि शुक्ला, प्रिया मिश्रा
विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता	:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 13

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार श्रीवास्तव और राज्य के लिये विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-क (2) के अंतर्गत यह आपराधिक अपील विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम), लखनऊ द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2263/2025 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 10.04.2026 के विरुद्ध दायर की गई है, जो कि थाना-गोसाईगंज, जिला- लखनऊ में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 109(1), 127(2), 118(1), 352, 190, 191(2), 191(3), 3(5) एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 36/2026 से उद्भूत है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. यह अपील पहली बार 04.05.2026 को सूचीबद्ध की गई थी और प्रत्यर्थी संख्या को नोटिस जारी किया गया था। कई तिथियों पर, नोटिस की तामील होने के बावजूद, प्रत्यर्थी संख्या 2 न तो इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और न ही कोई आपति दाखिल की। दिनांक 01.06.2026 को, इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने का अंतिम अवसर प्रदान किया और मामले को आज सुनवाई के लिए नियत किया। अपराध सदैव राज्य के विरुद्ध होता है, इसलिए राज्य की ओर से प्रतिशपथपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है और प्रत्युत्तर शपथ पत्र भी दाखिल किया जा चुका है।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि कथित घटना दिनांक 26.01.2026 को घटी थी। पीड़िता/आहत रवि के अपहरण और उसे चोटें पहुँचाने के आरोपों के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी का नाम अंकित नहीं था।

5. यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष के कथानक के अनुसार, आहत रवि को धारदार हथियार अर्थात् चाकू से चोटें आईं। हालांकि, सरकारी अस्पताल में तैयार की गई मेडिकल/इंजरी रिपोर्ट के परिशीलन से पता चलता है कि गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पर कई फटे हुए घाव पाए गए थे। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि, सीटी स्कैन रिपोर्ट के अनुसार, दाहिने ऊपरी लोब के पिछले खंड और दाहिने निचले लोब के ऊपरी खंड में ग्राउंड-ग्लास अपारदर्शिता के कई धब्बेदार क्षेत्र देखे गए थे।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी दिया है कि धारदार हथियार से पहुँची चोटों के परिणामस्वरूप आम तौर पर फटे हुए घावों के बजाय स्पष्ट कटे हुए घाव होते हैं। आगे यह तर्क भी दिया गया कि प्रार्थी का नाम बाद में आहत के बयान में सामने आया और चिकित्सकीय साक्ष्य अभियोजन पक्ष के कथानक का पूर्ण रूप से समर्थन नहीं करते हैं।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि प्रारंभ में किसी राजेश को, जो पीड़ित का चाचा है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित किया गया था, लेकिन विवेचना

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के दौरान अभियोजन साक्षियों के बयानों के आधार पर उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विवेचना के दौरान प्रार्थी के कॉल डिटेल् रिकॉर्ड एकत्र किए गए थे; हालांकि, उसमें स्तार्शाया गया स्थान कथित घटना के बाद की अवधि से संबंधित है। यह भी तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

8. आगे यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष स्वच्छ अंतःकरण से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है और प्रार्थी के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 4(2)(ख) और (ड) के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए और विवेचना अधिकारी न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल करे। त्वरित संदर्भ के लिए, धारा 4 नीचे प्रस्तुत की गई है :-

“4. कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड (1) कोई भी लोक सेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट लोक सेवक के कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(क) पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लेने से पहले मौखिक रूप से दी गई सूचना को, सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाना और उसको लेखबद्ध करना;

(ख) इस अधिनियम और अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन शिकायत या प्रथम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सूचना रिपोर्ट को रजिस्टर करना और अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के अधीन उसको रजिस्टर करना;

(ग) इस प्रकार अभिलिखित की गई सूचना की एक प्रति सूचनाकर्ता को तुरंत प्रदान करना;

(घ) पीड़ितों या साक्षियों के कथन को अभिलिखित करना;

(ङ) अन्वेषण करना और विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में साठ दिन की अवधि के भीतर आरोपपत्र फाइल करना तथा विलंब, यदि कोई हो, लिखित में स्पष्ट करना;

(च) किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को सही रूप से तैयार, विरचित करना तथा उसका अनुवाद करना;

(छ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना;

परंतु लोक सेवक के विरुद्ध इस संबंध में आरोप, प्रशासनिक जांच की सिफारिश पर अभिलिखित किये जायेंगे ।

(3) लोक सेवक द्वारा उपधारा (2) में निर्दिष्ट कर्तव्य की अवहेलना के संबंध में संज्ञान विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा लिया जायेगा और लोक सेवक के विरुद्ध दांडिक कार्रवाइयों के लिए निदेश दिया जायेगा।“

9. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने ज़मानत की प्रार्थना का विरोध किया और यह तर्क दिया कि आहत को कई चोटें आई हैं। यद्यपि चोटें फटे हुए घाव के रूप में हैं न कि स्पष्ट कटे हुए घाव के रूप में, डॉक्टर ने चिकित्सकीय रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि चोटें किसी अज्ञात धारदार हथियार से लगी हो सकती हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आहत का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया था, हालांकि उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गए तर्कों, आरोपों की प्रकृति विवेचना के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों, प्रार्थी के किसी भी पूर्व आपराधिक इतिहास की अनुपस्थिति पर विचार करते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इसे ज़मानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला पाता है।

11. तदनुसार, अपीलार्थी, विशाल यादव को **श्रीमती बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद 5286** में घोषित निर्णय के आलोक में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत बंधपत्र और एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए:-

(i) अपीलार्थी अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही किसी साक्षी को प्रभावित करने का प्रयास करेगा।

(ii) अपीलार्थी विचारण में सहयोग करेगा और जब तक संबंधित न्यायालय द्वारा न दी जाए, प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(iii) अपीलार्थी ज़मानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या कोई अपराध करने में लिप्त नहीं होगा।

(iv) अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे।

(v) अपीलार्थी संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा।

12. यदि अपीलार्थी उपर्युक्त में से किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार ज़मानत रद्द करने सहित उचित कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. उपर्युक्त के आलोक में, अपीलार्थी की ज़मानत खारिज करने वाला आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है और यह अपील स्वीकार की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

8 जून, 2026

डीकेएस

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।